न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः – **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

अपील संख्याः **2022 / 01** दायर दिनांक **02.07.2021**

अपीलार्थी	**बनाम्**	**प्रत्यर्थीगण**
1. बीरमा देवी पुत्री जोराराम पत्नि पन्नाराम जाति जाट उम्र 55 वर्ष निवासी थेबड़ी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।		1. सरपंच, ग्राम पंचायत थेबड़ी 2. तहसीलदार डीडवाना 3. चतराराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी थेबड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 4. लक्ष्मणराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी थेबड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

अपील, अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट
विरूद्ध आदेश दिनांक 22.07.2019 ग्राम पंचायत थेबड़ी द्वारा ग्राम थेबड़ी के खसरा सं0 183, 231, 239, 272 में दर्ज स्वीकृत नामान्तरण सं0 830, 831 को निरस्त करवाने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री अमराराम चौधरी वकील अपीलार्थी।
2. श्री सुनिल कुमार शर्मा रेस्पोडेंट सं0 03 व 04 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 11.07.2022

यह है कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 03 व 04 एक ही पूर्वज बालूराम कि संताने व उतराधिकारीगण जो की अलग–अलग रहते है ओर अलग–अलग ही कमाते खाते है।

यह है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 03 व 04 कि पैतृक कब्जा काश्त व खातेदारी कि भूमि खेत खसरा सं0 183, 231, 239, 272 में आई हुई है।

यह है कि अपीलान्ट स्वर्गीय जोराराम कि जाईन्दा पुत्री है तथा स्वर्गीय बालूराम कि पौत्री है, स्वर्गीय जोराराम के एक मात्र पुत्री बीरमा देवी हुई इनके अलावा अन्य कोई संतान नही हुई।

यह है कि अपीलान्ट बीरमादेवी ने ग्राम थेबड़ी के खसरा सं0 183, 231, 239, 272 में स्थित पैतृक कृषि भूमियों में अपने हक हिस्से की भूमि अपने नाम करवाने के लिये दिनांक 10.07.2015 को न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष एक वाद पत्र बाबत घोषणा, खातेदारी बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का बअनुवान बीरमादेवी बनाम जोराराम पेश किया। तथा वाद पत्र के साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना ने सुनवाई करते हुए दिनांक 10.07.2015 को प्रार्थीया बीरमा देवी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये जवाब पेश होने तक अप्रार्थी सं0 01 जोराराम को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया कि आराजी खसरा सं0 183, 231, 239, 272 शरहद थेबड़ी तहसील [illegible] नही करेगा तथा रेकर्डकि यथा स्थिती बनाये रखेगे का आदेश ज[illegible]

यह है कि उक्त वा[illegible] सं0 96 / 2015 न्यायालय में चलते रहे इसी दौ[illegible] पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 07.06.2017 को खारिज कर दिया जिस पर अपीलान्ट/वादीया ने राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष आदेश 07.06.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की। जिस पर राजस्व अपील अधिकारी नागौर ने सहायक कलक्टर डीडवाना के आदेश दिनांक 07.06.2017 को निरस्त करते हुए दिनांक 23.06.2017 को पत्रावली रिमान्ड कर दी। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 10.07.2017 को वाद पत्र /टी. आई पत्रावली न्यायालय श्रीमान में पुनः दर्ज हो गई तथा प्रतिवादीगण को पुनः नोटिस जारी होने पर दिनांक 30.07.2018 को प्रतिवादीगण की तरफ से वकील राजेन्द्र माथूर ने वकालतनामा पेश कर वाद पत्र के पक्षकार प्रतिवादीगण जोराराम, चतराराम, लक्ष्मणराम, नीजू, जस्सू, को न्यायालय में विचाराधिन वाद पत्र सं0 120/2015 व टी.आई. प्रार्थना–पत्र 96/2015 कि पूर्णतया जानकारी हो गई तथा वाद पत्र के पक्षकारान को यह भी संज्ञान हो गया कि खसरा सं0 183, 231, 239, 272 में राजस्व रेकर्ड कि यथास्थिति के आदेश हो रखे है। फिर भी रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 4 ने मिलीभगत कर अपीलान्ट के हक अधिकारों को खतम करने की नियत से न्यायालय द्वारा स्थगन होने के बावजूद दिनांक 08.07.2019 को अपीलान्ट के पिता जोराराम से दो बेचाननामा अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया तथा उन बेचाननामो के आधार पर पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत थेबड़ी से मिलीभगत कर दिनांक 22.07.2019 को नामान्तरण सं0 830 व 831 स्वीकृत करवा लिया।

अपील के आधार

यह है कि मौजा ग्राम थेबड़ी के खसरा सं0 183, 231, 239, 272 में से जोराराम के द्वारा चतराराम व लक्ष्मणराम के पक्ष में भूमि का बेचाननामा निष्पादित हुआ है। उस दिनांक को उपरोक्त खसरान की भूमियों में से जोराराम को भूमि बेचान/हस्तान्तरण करने का अधिकारी नही था क्योंकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर डीडवाना के द्वारा उपरोक्त खसरान में से जोराराम को बेचान/हस्तान्तरण नही करने बाबत पाबन्द किया हुआ था। राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी हो रखे थे। इसलिए अवैध/शुन्य बेचाननामा के जरिये जो नामान्तरण सं0 830 व 831 के सम्बन्ध मं ग्राम पंचायत थेबड़ी द्वारा दिनांक 22.07.2019 को आदेश पारित किया गया है। अवैध व शुन्य है। नामान्तरण सं0 830 व 831 अपास्त होने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर मौजा ग्राम थेबड़ी के खसरा सं0 183, 231, 239, 272 के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत थेबड़ी द्वारा दिनांक 22.07.2019 को नामान्तकरण सं0 830 व 831 के स्वीकृत आदेश को निरस्त फरमावें तथा नामान्तकरण सं0 830 व 831 को अपास्त कर जोराराम पुत्र बालूराम का नाम पुनः दर्ज करने के आदेश तहसीलदार डीडवाना को फरमावें।

रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रेस्पोडेन्ट 3, 4 ने जवाब पेश किया। जो निम्न प्रकार है।

उक्त उनवान अपील भारी मयाद बाहर प्रस्तुत की गयी है क्योंकि धारा 75 के तहत अपील पेश करने के परिसीमा 60 दिवस की होती है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ मयाद क्षमा का आवेदन पेश नही किया गया है। इस कारण उक्त अपील चलने योग्य नही है। क्योंकि मयाद के बिन्दु को तय किये बिना अपील गुणागुण पर निस्तारण नही किया जा सकता है। इस कारण उक्त अपील मयाद बाहर होकर एवं क्षमादान प्रस्तुत नही करने के कारण इसी स्तर पर काबिल खारिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त उनवानी अपील में धारा 96 के तहत अपील पेश करने की अनुमति नही चाही गयी है जो गंभीर त्रुटि है, बिना अनुमति अपील पेश करने की इजाजत नही होने उक्त अपील इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है।

उक्त उनवानी अपीलाधीन आराजीयात बाबत नियमित वाद वर्तमान अपीलांट द्वारा पेश होकर विचाराधिन है, इस कारण नियमित वाद के विचाराधिन रहते इंतकाल की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही होकर स्थगित रखी जाने के कारण उक्त अपील चलने योग्य नही है, जो इसी स्तर पर काबिल खारिज है।

उक्त उनवानी अपील नामान्तरण सं0 830, 831 के विरूद्ध एक अपील ही प्रस्तुत कि गयी है, दो आदेशों के विरूद्ध एक अपील चलने योग्य नही होने से काबिज खारिज है।

अतः प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्राथमिक आपत्ति स्वीकार कर उक्त उनवानी अपील इसी स्तर पर अपील पेश करने की अनुमति नही चाहने एवं मयाद बाहर होने, दो नामान्तरण आदेशों के विरूद्ध एक अपील पेश करने तथा मयाद क्षमावेदन पेश नही करने के कारण इसी स्तर पर निरस्त किये जाने के आदेश सादर फरमावें।

बहस सुनी गई। वकील रेपोडेंट सं0 02, 03 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपालान्ट की अपील मयाद बाहर होने से अपीलान्ट की अपील खारिज जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया अपीलान्ट की अपील पंजीकृत दस्तावेजों के अनुसार हुए नामान्तकरण को खारिज कराने बाबत पेश कि है। पंजीकृत दस्तावेज को खारिज करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है।

अतः तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोनोपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **11.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner